



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 315 राँची, मंगलवार,

9 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

8 मई, 2026

1. **संख्या-01/म०स०/राज०स्था०-163/2017-1743**--श्रीमती आलोका कुमारी चौधरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह (गृह जिला-राँची) को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (PB-III, अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे-6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा अगले आदेश तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. **संख्या-01/म०स०/राज०स्था०-163/2017-1746**--श्रीमती अर्चना सिन्हा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डालटनगंज ग्रामीण, पलामू (गृह जिला-औरंगाबाद, बिहार) को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (PB-III, अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे-6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा अगले आदेश तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. **संख्या-01/म॰स॰/राज॰स्था॰-163/2017-1747--**श्रीमती सविता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निरसा, धनबाद (गृह जिलापटना, बिहार) को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (PB-III, अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे-6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा अगले आदेश तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. **संख्या-01/म॰स॰/राज॰स्था॰-163/2017-1748--**श्रीमती अलका हेम्ब्रम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार (गृह जिलापश्चिमी सिंहभूम) को स्थानान्तरित करते हुये अगले आदेश तक सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- (i) उक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ पदस्थापित पद का पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।
- (ii) सभी नवप्रोन्नत/स्थानान्तरित पदाधिकारी माह मई, 2026 का वेतन नव पदस्थापित कार्यालय/संबंधित कोषागार से प्राप्त करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रीति सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
